



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2337]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 10, 2010/कार्तिक 19, 1932

No. 2337]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 10, 2010/KARTIKA 19, 1932

शहरी विकास मंत्रालय

(मेट्रो रेल सेल)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 नवम्बर, 2010

का.आ. 2765(अ).—केन्द्रीय सरकार, मेट्रो रेल (प्रचालन और अनुरक्षण) अधिनियम, 2002 (2002 का 60) की धारा 7 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रेल सुरक्षा आयुक्त, दक्षिणी सर्किल, बेंगलूर को बेंगलूर महानगर क्षेत्र में मेट्रो रेल परियोजनाओं की बाबत मेट्रो रेल सुरक्षा आयुक्त के रूप में कार्य करने के लिए तत्काल प्रभाव से नियुक्त करती है।

[फा. सं. के-14011/13/2006-मेट्रो]

बिमल कुजूर, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(METRO RAIL CELL)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th November, 2010

S.O. 2765(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 7 of the Metro Railways (Operation and Maintenance) Act, 2002 (60 of 2002), the Central Government, hereby appoints Commissioner of Railway Safety, Southern Circle, Bangalore to act as Commissioner of Metro Railway Safety in respect of the Metro Railway Project in Bangalore Metropolitan area with immediate effect.

[F. No. K-14011/13/2006-Metro]

BIMAL KUJUR, Under Secy.